C-mail

स्वर्णिम 50 वर्ष 1973-2023

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpmandiboard.gov.in ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

---

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/VC-2023/3754 भोपाल, दिनांक - 04/~~08~~ 09/2023

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
______ जिला - ______ (समस्त)

विषय - वीडियो कांफ्रेंस एवं मासिक बैठक में आवक समीक्षा के संबंध में।

वीडियो कांफ्रेंस एवं मासिक बैठक में कृषि उपज मंडियों की **समीक्षा** हेतु अत्यंत आवश्यक **"आवक की जानकारी"** की समय पूर्व उपलब्धता एवं बैठक पूर्व तैयारी के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि -

i. सचिव कृषि उपज मंडी समिति, मंडी की **आवक की जानकारी** आंचलिक अधिकारी के माध्यम से (सत्यापित जानकारी) आगामी माह की **5 तारीख** तक अनिवार्यतः मुख्यालय की सूचना प्रबंधन तथा विश्लेषण शाखा में उपलब्ध कराएं।

ii. आंचलिक अधिकारी, **आवक की उक्त जानकारी** का पूर्ण परीक्षण तथा विगत तीन वर्षो के आधार पर **प्रगामी आवक में कमी की जिंसवार उत्पादन के आंकड़ो से तुलना करते हुए** कमी के कारणों की संभागवार, मंडीवार समीक्षा करेंगे तथा कमी के स्पष्ट कारणों का संक्षिप्त एवं सारगर्भित प्रतिवेदन **(एक कृषि उपज मंडी के लिए अधिकतम 1 पेज की सीमा)** माह की अधिकतम 10 तारीख तक अनिवार्यतः नियमन शाखा में उपलब्ध कराएंगे।

   - आवक में कमी, किसी मंडी सचिव या पदस्थ सहयोगी स्टॉफ की कर्त्तव्य प्लान में उपेक्षा/ लापरवाही के कारण है तो प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएं और संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएं।

iii. वीडियो कांफ्रेंस एवं मासिक बैठक के दौरान आवक में कमी के सतही और काम चलाऊ कारणों को कतई मान्य नहीं किया जाएगा। इसमें आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिवों

के स्तर से गंभीरता पूर्वक कार्यवाही अपेक्षित है, अन्यथा की स्थिति में संबंधित मंडी सचिवों के साथ ही आंचलिक अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लिया जा सकेगा/ कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।

2. उक्तानुसार निर्देशों का पूर्ण पालन आगामी माह से अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाएं। आवक की जानकारी के प्रेषण में किसी भी प्रकार के विलंब की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. **वीडियो कांफ्रेंस एवं मासिक बैठक के लिए शेष जानकारियां पूर्व में जारी निर्देशों अनुसार मुख्यालय की संबंधित शाखाओं को प्रेषित की जाएं।**

(गौतम सिंह)IAS
अपर संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/VC-2023/3755 भोपाल, दिनांक - 04/~~08~~ 09/2023

प्रतिलिपि

अपर संचालक (सूचना प्रबंधन तथा विश्लेषण), मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल. कृषि उपज मंडियों की आवक (आंचलिक अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त) की जानकारी में गत 3 वर्षों से तुलना की पूर्ण जानकारी माह की **अधिकतम 7 तारीख तक** अनिवार्यतः नियमन शाखा में उपलब्ध कराने का अनुरोध है.

अपर संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल